उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

मंगलवार, 02 पौष, शक संवत् 1947

(23 दिसम्बर, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-मुख्य मंत्री, गृह पुलिस अनुभाग-7 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड की छत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

3-मुख्य मंत्री, गृह पुलिस अनुभाग-7 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड की सैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 द्वारा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29 सितम्बर, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025 को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-28 (ख) की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1/1162031-2025, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-28 की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1/1133353-2025, दिनांक 05 नवम्बर, 2025 को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-28 की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

8-नेता सदन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2025 (दिनांक 11 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक) में नियम-115 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-115 (4) के प्राविधानों के अनुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

9-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1155/36-2-2024-10(जी)-2017, दिनांक 05 जुलाई, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2024 को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-62 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

10-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उपधारा (2) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

11-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2022-2023 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

12-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का इक्कीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

13-ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

14-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

15-प्राविधिक शिक्षा मंत्री, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-312/ सोलह-1-2024-03 (3)-2014, दिनांक 06 फरवरी, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर प्रथम परिनियमावली, 2025 को उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा-48 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

16-श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

17-श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

18-श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2017-2018 व 2015-2016 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

19-श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2014-2015 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 वन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

20-श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का पंचम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

21-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-जखौरा, ग्राम पंचायत-ननौरा से ननौरा-तिलहरी सम्पर्क मार्ग पर देव सिंह के मकान के पास पुलिया का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन व श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अनुदेशकों का ग्रेड-पे उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो व श्री सत्यपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के आलू किसानों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के आई0टी0आई0 विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहनवाज खान व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नियत वेतन वाले अध्यापकों को महंगाई भत्ते सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-मुख्य मंत्री, जनपद-लखनऊ के सरकारी एल0के0एस0 कालोनी में जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त मकानों के सम्बन्ध में श्री विक्रांत सिंह उर्फ रिशु, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

27-आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-मैनपुरी में आबकारी विभाग और आशीष राज द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

28-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम अलीपुर चौबीसी, पोस्ट-क्रिसिया, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

29-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम अमृत का पुरवा, पोस्ट-रतौली, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

30-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-मोहरावां, विकास खण्ड-मिश्रिख, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

31-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-नई बस्ती अहेवा, मजरा-बजेहरा, विकास खण्ड-पहला, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

32-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बेवल बरकतपुर, विकास खण्ड-भुता, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

33-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम बरुआ हुसैनपुर, विकास खण्ड-भुता, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

34-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत अवन्ती विहार कालोनी, निकट पुरानी पुलिस चौकी, पारा, न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

35-नेता सदन द्वारा ''भारत के राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने'' के सम्बन्ध में नियम-59 (9) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि दिनांक 07 नवम्बर, 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिमचंद्र चटर्जी ने 'वन्दे मातरम्' गीत की रचना की थी। वर्ष 2025 में भारत के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह गीत पहली बार साहित्यिक पत्रिका 'बंगदर्शन' में उनके उपन्यास 'आनंदमठ' के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। समय के साथ, 'वन्दे मातरम्' स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति,

मातृभूमि के प्रति समर्पण और विदेशी शक्ति के खिलाफ प्रेरणा का एक चित्रण बन गया तथा इसने गहरी देशभक्ति की भावनाओं को जन्म दिया। स्वदेशी आन्दोलन जैसी कई पहलों ने इसे स्वतंत्रता आन्दोलन के केन्द्रीय नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज सरकार के विरोध में होने वाली बैठकों और सभाओं के दौरान 'वन्दे मातरम्' का पाठ किया जाता था। अरबिंदो घोष जैसे दार्शनिकों का मानना था कि 'वन्दे मातरम्' का आशीर्वाद भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिव्य शक्ति है।

1905 में 'वन्दे मातरम्' बंगाल के विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कर्नाटक के गुलबर्गा में 'वन्दे मातरम्' आन्दोलन को हैदराबाद-कर्नाटक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण कहा जाता है।

24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने 'जन गण मन' को राष्ट्रगान और 'वन्दे मातरम्' को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया।

दिनांक 07 नवम्बर, 2025 को इस गीत के 150 वर्ष पूरे हुए और इसे एक वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव के साथ मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूरदर्शन पर प्रातः 10 बजे किया गया, जिसके बाद पूरे देश में एक साथ 'वन्दे मातरम्' का सामूहिक गायन हुआ। यह स्मरणोत्सव भारत की राष्ट्रीय पहचान के विकास में इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है तथा आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को पुष्ट करता है।''

लखनऊ :
मंगलवार, 02 पौष, शक संवत् 1947
(23 दिसम्बर, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	24-9-2025
*2	24-9-2025
*3	7-11-2025
*4	26-11-2025
*5	12-12-2025
*6	12-12-2025
*7	12-12-2025
*8	12-12-2025
*9	12-12-2025

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	24-9-2025
2	30-9-2025
3	30-9-2025
4	30-9-2025
5	30-9-2025
6	13-10-2025
7	13-10-2025
8	29-10-2025
9	6-11-2025
10	16-11-2025
11	16-11-2025
12	16-11-2025
13	16-11-2025
14	16-11-2025
15	16-11-2025
16	16-11-2025
17	16-11-2025
18	11-12-2025
19	11-12-2025

नत्थी 'क'

मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

जनपद सन्तकबीरनगर के विकास खण्ड सांथा में किसानों को कृषि कार्य हेतु क्रय की गयी मशीनों पर दी जाने वाली सब्सिडी के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1 — कृषि मंत्री

*1-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि किसानों को कृषि कार्य हेतु क्रय की गयी मशीनों पर कोई सब्सिडी दी जाती है ?

(ख) यदि हाँ, तो जनपद सन्तकबीरनगर के विकास खण्ड सांथा में कितने किसानों द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 15 सितम्बर, 2025 तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ?

(ग) क्या उक्त आवेदनों पर तय समय तक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) क्या पंजीकरण संख्या 8502050359600 भी प्राप्त हुआ है ?

(ङ) उक्त पंजीकरण संख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(च) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण बैंक खातों सहित एवं यू0टी0आर0 सहित सदन की मेज पर रखेंगे ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाराणसी विंध्याचल व आजमगढ़ मण्डल में कौशल विकास मिशन एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*2-(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी मण्डल, विंध्याचल मण्डल एवं आजमगढ़ मण्डल में पिछले पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) उनमें से कितने प्रतिशत युवाओं को प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुये ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

नगला मनफूल, करहल, जनपद मैनपुरी के लाइसेंसों के बकाया के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 3 — आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*3-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि नगला मनफूल, करहल, जनपद-मैनपुरी के कितने लाइसेंसों का बकाया है ?

(ख) यदि हां, तो कितना और कब से है ?

(ग) यदि नहीं, तो उनको बार-बार फसाने का क्यों प्रयास किया जा रहा है ?

जनपद सिद्धार्थनगर में औद्योगिक इकाइयों द्वारा व्यक्तियों को लाभान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 4 — सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री

*4-(क) क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बतायेंगे कि आकांक्षी जनपद-सिद्धार्थनगर में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं तथा उससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं ?

(ख) क्या सिद्धार्थनगर के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा फर्जी उद्योग इकाइयों की संख्या अधिक बता कर शासन और विभाग को गुमराह किया जा रहा है ?

(ग) यदि हां, तो इसकी जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिये किये गये कार्यों के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 5 — औद्योगिक विकास मंत्री

*5-(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं और उनका इस वित्तीय वर्ष में कितना कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

(ख) क्या प्रदेश के किसी जनपद में नये औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी लाये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

कौशल विकास विभाग से प्रशिक्षित वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के नवयुवकों को रोजगार के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 6 — व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*6-(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के मध्य कितने नवयुवकों को प्रशिक्षित किया गया है और कितनों को रोजगार दिया गया है ?

(ख) क्या राज्य सम्पत्ति विभाग की जनपद-लखनऊ में भी नई कालोनी बनाने पर कोई विचार किया जा रहा है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुल यादव 7

*7-[अन्तरित।]

जनपद-मैनपुरी की करहल मण्डी में वर्ष 2024-25 में लगी आग में हुये नुकसान के मुआवजे के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 8 — कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*8-(क) क्या कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मैनपुरी की करहल मण्डी में वर्ष 2024-25 में आग लगी थी उससे कितने रुपये का नुकसान हुआ एवं क्या सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) यदि हां, तो कितना मुआवजा दिलवायेंगे ?

प्रयागराज व झांसी मण्डल में सरकारी विक्रय केन्द्रों पर यूरिया खाद के वितरण के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 9	*9-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से दिनांक 15 सितम्बर, 2025 तक प्रयागराज व झांसी मण्डल के सरकारी विक्रय केन्द्रों पर कितनी यूरिया खाद वितरण किये जाने का लक्ष्य था और कितनी वितरित की गयी है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि मंत्री

अतारांकित प्रश्न

श्री अनूप कुमार गुप्ता 1	1-(क) क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बतायेंगे कि नगर पंचायत निघासन के वार्ड नं0-05 चन्द्रगुप्तनगर जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत बुद्धीपुरवा चौधरीपुरवा होते हुए प्रीतमपुरवा गांव तक तिकुनिया मण्डी समिति से रोड निर्माण करवाने हेतु पूर्व में प्रश्नकर्ता द्वारा आपको सम्बोधित पत्र सं0-325/BJPUP/2025, दिनांक 11-08-2025 प्रमुख सचिव पत्र सं0-326/BJPUP/2025, दिनांक 11-08-2025 के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ? (ख) यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या उक्त ग्राम सभा में रोड का निर्माण करवायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 2	2-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-08-2025 जो ग्राम-गजराज खेड़ा, पो0-सन्दाना, जनपद-उन्नाव में कन्या विवाह हेतु शादी अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में आपको सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या उक्त धनराशि लाभार्थियों के खातों में भेज दी गयी है ? (घ) क्या उक्त की गयी कार्यवाही को सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

डा0 मान सिंह यादव 3	3-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव, तहसील-पुरवा, विकास खण्ड-हिलौली, ग्राम-गजराज खेड़ा में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन संख्या 31311332340 व 31311332345 के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त लाभार्थियों के खातों में वद्धावस्था पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) यदि हां, तो कब ? (घ) क्या उक्त लाभार्थियों के नाम पता सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 4	4-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव, पो0-सन्दाना व ग्राम-गजराज खेड़ा में आधार सं0-734399475368 व आधार सं0 321604300755 एवं अन्य किसान सम्मान निधि जो पिछले माह अगस्त, 2025 में भेजी गई थी, वह किसान सम्मान निधि प्राप्त नहीं हुयी है ? (ख) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं की रोकी गयी किसान सम्मान निधि दिलवायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-देवरिया के तहसील-सलेमपुर, नगर-लार के शास्त्री नगर से रजिस्ट्रेशन संख्या-315522859941 के साथ ही दिनांक 01 नवम्बर, 2024 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक कितने आवेदनकर्ताओं ने वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन किये हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के खाते में पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव व जनपद-हरदोई के तहसील सदर व तहसील-बिलग्राम में वृद्धावस्था पेंशन के 313123458231, 313123398821 व 313014072921 के आवेदन किये गये हैं ? (ख) क्या उक्त पेंशन आवेदनकर्ताओं के खातों में पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) क्या उक्त आवेदनों का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव, तहसील-पुरवा, विकास खण्ड-हिलौली, ग्राम-गजराज खेड़ा में वद्धावस्था पेंशन के आवेदन संख्या 31311063984 व 31311065293 की वर्ष 2025 की प्रथम किश्त की पेंशन नहीं भेजी गयी है ? (ख) यदि हां, तो उक्त पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं ? (ग) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के खातों में पेंशन प्रेषित कराते हुये सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 8	8-(क) क्या खेल मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-बिसवां, ग्राम पंचायत-शंकरपुर में खेल का मैदान विकसित न होने से युवाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु खेल के मैदान का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 9	9-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के पो0-काकोरी व ग्राम-जेहटा में रजिस्ट्रेशन सं0-UP312371893 व UP304871658 एवं अन्य कितनें किसानों की किसान सम्मान निधि जो पिछले माह अगस्त, 2025 में भेजी गई थी, उनको वह किसान सम्मान निधि प्राप्त नहीं हुयी है ? (ख) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं की रोकी गयी किसान सम्मान निधि दिलवायेंगे ?	कृषि मंत्री

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 10	10-(क) क्या युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-रेउसा के ग्राम पंचायत-रमितापुर कालिका सिंह में खेल के मैदान की व्यवस्था न होने से युवाओं को परेशानी होती है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु खेल के मैदान का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 11	11-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-बेहटा के ग्राम-मुडीला में सामुदायिक केन्द्र न होने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 12	12-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-सकरन के ग्राम-अन्दूपुर में विवाह स्थल/सामुदायिक केन्द्र न होने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 13	13-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोंदलामऊ में खेल का मैदान न होने से युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु खेल मैदान का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री पवन कुमार सिंह 14	14-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड पहला में कोई सामुदायिक केन्द्र न होने से क्षेत्रीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 15	15-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-टीकर बहादुरपुर में बारातघर न होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु बारातघर का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 16	16-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत-जानकी नगर में खेल का मैदान न होने से युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु खेल के मैदान का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 17	17-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-लहरपुर के ग्राम-गोकुलपुर में खेल का मैदान न होने से युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु खेल के मैदान का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

डा0 मान सिंह यादव 18	18-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-बाराबंकी, ग्राम/पोस्ट-तेजवापुर, तहसील/परगना, हैदरगढ़ में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन संख्या-3148135503 के साथ ही दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 15 मई, 2025 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को कितने ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? (ख) क्या आवेदनकर्ताओं को पारिवारिक लाभ प्रदान कर दिया गया है ? (ग) यदि हां, तो कब ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 19	19-(क) क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड-बेहजम का ग्राम पंचायत-देवरी के अन्तर्गत नीमगांव से देवरी तक की दूरी 2.7 किमी0 मेन रोड बहुत ही जर्जर है, जिससे वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कत होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु रोड की मरम्मत का कार्य करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बाराबंकी, विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम अलीपुर चौबीसी, पोस्ट-क्रिसिया के बगल से चौबीसी कमेला रोड से पदमपुरा गांव होते हुए बनकोट तक डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-बाराबंकी, विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम अलीपुर चौबीसी, पोस्ट-क्रिसिया के बगल से चौबीसी कमेला रोड से पदमपुरा गांव होते हुए बनकोट तक डामरीकरण रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। सड़क का डामरीकरण कार्य कराये जाने हेतु हम सब कई वर्षों से प्रयासरत हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-बाराबंकी, विकास खण्ड-हैदरगढ, ग्राम अलीपुर चौबीसी, पोस्ट-क्रिसिया के बगल से चौबीसी कमेला रोड से पदमपुरा गांव होते हुए बनकोट तक डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बाराबंकी, विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम-अमृत का पुरवा, पोस्ट-रतौली के अन्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सर्विस रोड 52 कि0मी0 से उमरवल सर्विस रोड तक लगभग 3.50 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-बाराबंकी, विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम-अमृत का पुरवा, पोस्ट-रतौली के अन्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सर्विस रोड 52 कि0मी0 से उमरवल सर्विस रोड तक लगभग 3.50 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-बाराबंकी, विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम-अमृत का पुरवा, पोस्ट-रतौली के अन्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सर्विस रोड 52 कि0मी0 से उमरवल सर्विस रोड तक लगभग 3.50 किलोमीटर डामरीकरण सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड मिश्रिख के ग्राम पंचायत मोहरावां में मोहरावां पक्की सड़क बिराहिमपुर तक लगभग 01 किलोमीटर डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड मिश्रिख के ग्राम पंचायत मोहरावां में मोहरावां पक्की सड़क बिराहिमपुर तक मार्ग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। स्थानीय

निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड मिश्रिख के ग्राम पंचायत मोहरावां में मोहरावां पक्की सड़क बिराहिमपुर तक सड़क का लगभग 01 किलोमीटर डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,
माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड पहला के ग्राम में नई बस्ती अहेवा के मजरा-बजेहरा के अन्तर्गत श्री रामबुझ के मकान से श्री रामनवल सिंह के मकान तक लगभग 105 मीटर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड पहला के ग्राम में नई बस्ती अहेवा के मजरा-बजेहरा में श्री रामबुझ के मकान से श्री रामनवल सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड पहला के ग्राम में नई बस्ती अहेवा के मजरा-बजेहरा में श्री रामबुझ के मकान से श्री रामनवल सिंह के मकान तक लगभग 105 मीटर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बरेली, विकास खण्ड-भुता, ग्राम-बेवल बरकतपुर से ग्राम नवादा तक लगभग 1200 मीटर डामरीकरण सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-बरेली, विकास खण्ड-भुता, ग्राम-बेवल बरकतपुर से ग्राम नवादा तक लगभग 1200 मीटर डामरीकरण सड़क का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से कोई मरम्मत व निर्माण का कार्य इस मार्ग पर नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-बरेली, विकास खण्ड-भुता, ग्राम-बेवल बरकतपुर से ग्राम नवादा तक लगभग 1200 मीटर डामरीकरण सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बरेली, विकास खण्ड-भुता, ग्राम-बरुआ हुसैनपुर के मरेला चौकी (बरेली)-बीसलपुर रोड से बरुआ हुसैनपुर तक लगभग 2.5 किलोमीटर डामरीकरण सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-बरेली, विकास खण्ड-भुता, ग्राम-बरुआ हुसैनपुर के अन्तर्गत मरेला चौकी (बरेली)-बीसलपुर रोड से बरुआ हुसैनपुर तक लगभग 2.5 किलोमीटर डामरीकरण सड़क का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से कोई मरम्मत व निर्माण का कार्य इस मार्ग पर

नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-बरेली, विकास खण्ड-भुता, ग्राम-बरुआ हुसैनपुर, मरेला चौकी (बरेली)-बीसलपुर रोड से बरुआ हुसैनपुर तक लगभग 2.5 किलोमीटर डामरीकरण सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,
माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–जनपद लखनऊ के नगर निगम परिधि (जोन-6) के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के अवन्ती विहार कालोनी के निकट पुरानी चौकी पारा के पास श्री रमेश चन्द्र दुबे के घर से श्रीमती निशा पटेल के घर तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-लखनऊ के नगर निगम परिधि (जोन-6) के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के अवन्ती विहार कालोनी, निकट पुरानी चौकी पारा के पास श्री रमेश चन्द्र दुबे के घर से श्रीमती निशा पटेल के घर तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। कच्ची व अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण मार्ग होने के कारण बारिश के दिनों में जगह-जगह जल-भराव हो जाता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखनऊ के नगर निगम परिधि (जोन-6) के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के अवन्ती विहार कालोनी, निकट पुरानी चौकी पारा के पास श्री रमेश चन्द्र दुबे के घर से श्रीमती निशा पटेल के घर तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।